भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 193</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 30 नवम्बर, 2021/9 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"ईंधन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एकत्रित कर"

193. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत कुल कितना कर एकत्र किया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत एकत्रित की गई राशि से राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है;
(ग) पेट्रोल पर 27.9 रूपये और डीजल पर 21.8 रूपये प्रति लीटर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में से राज्य सरकारों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों में ईंधन पर वैट के अंतर्गत कर की कुल कितनी राशि एकति की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): अप्रैल, 2016 और मार्च 2021 के बीच ईंधन (पेट्रोल और डीजल) पर उपकर समेत संग्रहीत कुल उत्पाद शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है।

(करोड़ रूपये में)

2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
2,22,410	2,25,267	2,13,400	1,78,311	3,71,908

(ख): वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रहीत कुल धन में से केन्द्र सरकारों को कर के रूप में कुल 19972 करोड़ रू. अंतरित किए गए थे।
(ग): राज्य सरकारों को इस प्रकार का अंतरण आधार भूत सीमाशुल्क घटक में से किया जाता है जोकि समय समय पर वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित सूत्र के आधार पर किया जाता है। इस समय पेट्रोल पर 1.40 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.80 रूपये प्रति लीटर की दर से आधारभूत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है।
(घ): अप्रैल, 2016 और मार्च 2021 तक विभिन्न राज्यों में ईंधन पर लगाए जाने वाले वैट से कुल 9,56,59 करोड़ रू. की राशि प्राप्त की गई है।

*****